

## कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 427 / 2015 / 5683

दिनांक:- 10 दिसम्बर, 2024

### :: आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 07/विधि/2024 दिनांक 30.11.2024 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) रहेगा। अतः इस न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेंगे। निम्नांकित न्यायालय जिनकी शीतकालीन अवकाश की अवधि के दौरान ड्यूटी लगायी गयी है, के पीटासीन अधिकारी व कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग उक्त अवधि में नहीं करेंगे :-

(1) जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य हेतु :-

शीतकालीन अवकाश, 2024 की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में इनके न्यायालय का आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र के निम्नांकित पीटासीन अधिकारी द्वारा उनके नाम के आगे अंकित अवधि के अनुसार किया जायेगा :-


क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Sh. Manish Sharma, ASCJ-cum-ACJM No. 10	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Sh. Dharmendra Kumar Sharma, ASCJ-cum-ACJM No. 4	30.12.2024 to 31.12.2024

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य हेतु :-

शीतकालीन अवकाश, 2024 की अवधि में निम्नांकित न्यायालय उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य के लिए खुले रहेंगे। इनके अलावा अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश के दौरान बन्द रहेंगे। जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र के निम्नांकित न्यायालयों के पीटासीन अधिकारीगण अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बन्धित आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य, जमानत, रिमाण्ड आदि कार्य दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक निपटायेंगे :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	किये जाने वाले कार्य का विवरण	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Dr. Neelam Sulabh Jain, CJ&JM (South)	दीवानी कार्य एवं भा0द0सं0 व अन्य अधिनियम से संबंधित कार्य तथा मोटर वाहन अधिनियम के	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Sh. Lokesh Kumar Meena, Spl. JM (NI Act Cases) No. 13	पुलिस/यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु	30.12.2024 to 31.12.2024

(3) प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखाओं का आवश्यक एवं दैनिक कार्य दिनांक 26.12.2024 से 27.12.2024 की अवधि में अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा तथा दिनांक 30.12.2024 से 31.12.2024 की अवधि में अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-4, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा देखा जावेगा।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर प्रथम

- (4) उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कोषालय में भिजवाये जाने वाले एवं पारित होकर प्राप्त होने वाले वेतन बिल आदि को बैंक में जमा कराये जाने हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3(क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Sh. Manish Sharma, ASCJ-cum-ACJM No. 10	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Sh. Dharmendra Kumar Sharma, ASCJ-cum-ACJM No. 4	30.12.2024 to 31.12.2024

- (5) जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण की दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाशों की अवधि में प्रोटोकॉल कार्य हेतु ड्यूटी लगाई जाती है परन्तु आवश्यकता होने पर न्यायिक कार्य करने हेतु भी ड्यूटी लगाई जा सकती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Sh. Rohit Sharma, ACJ&JM No. 13	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Sh. Himanshu Chawla, ACJ&JM No. 14	30.12.2024 to 31.12.2024
नोट :- उपरोक्त दोनों अधिकारीगण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-प्रथम के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।		

- (6) जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण की दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में आवश्यकता होने पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। अतः निम्न न्यायिक अधिकारीगण को रिजर्व ड्यूटी हेतु रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में मुख्यालय पर ही उपस्थित रहें :-


- (i) जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य हेतु :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Ms. Parikshita Detha, ACJM No. 19	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Ms. Asha Gunpal, ACJM No. 8	30.12.2024 to 31.12.2024

- (ii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य हेतु :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	किये जाने वाले कार्य का विवरण	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Ms. Monika, ACJ&JM No. 9	दीवानी कार्य एवं भा0द0सं0 व अन्य अधिनियम से संबंधित कार्य तथा मोटर वाहन अधिनियम के	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Ms. Renu Motwani CJ&JM (East)	पुलिस/यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु	30.12.2024 to 31.12.2024

नोट:- उक्त आदेश में क्रम (1) व (2) की तालिकाओं में अंकित पीठासीन अधिकारी के विरल परिस्थिति में अवकाश पर रहने की स्थिति में रिजर्व ड्यूटी हेतु क्रम (i) व (ii) में लगाये गये पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने वाले संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में बैठकर कार्य संपादित किया जावेगा तथा संबंधित न्यायालय का स्टाफ ही कार्य हेतु उपस्थित रहेगा।

  
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
 जयपुर महानगर प्रथम

(iii) प्रोटोकॉल कार्य हेतु :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
01	Sh. Kuldeep Mastan, ASCJ-cum-ACJM No. 3	26.12.2024 to 27.12.2024
02	Sh. Khetpal Singh, ACJ&JM No. 5	30.12.2024 to 31.12.2024
नोट :- उपरोक्त दोनों अधिकारीगण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-प्रथम के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।		

Sdr  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था / 427 / 2015 / 5683

दिनांक:- 10 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखा/रिकॉर्ड शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
2. प्रभारी अधिकारी, जिला न्यायिक पूल, जिला न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम को भेजकर लेख है कि शीतकालीन अवकाश में कार्यरत अधिकारीगण में से जो भी अधिकारी पूल वाहन का उपयोग करते हैं उनकी ड्यूटी अनुसार पूल वाहन की व्यवस्था उन्हें लाने व ले जाने हेतु करवावे।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर-प्रथम
4. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र
5. पुलिस कमिश्नर, जयपुर महानगर को भेजकर लेख है कि इस सम्बन्ध में समस्त थानाधिकारियों को सूचित करावे।
6. मैनेजर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा जिला न्यायालय परिसर, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर।
8. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, जयपुर/सांगानेर/बरसी/चाकसू
9. सीनियर रीडर/फौजदारी केस क्लर्क/दीवानी केस क्लर्क/इजराय केस क्लर्क, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
10. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र
11. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

Sdr  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर-प्रथम